अनुसूची 14 – फारम संख्या 562

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal (Review) Case No.- 21 of 2017

Dist.:- Patna

PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.

The State of Bihar - Petitioner/ Appellant

Versus

Raman Kumar Sinha - Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Petitioner :
For the OP :

O R D E R

03.01.2019 प्रस्तुत पुनर्विचार वाद (Review Petition) अपील वाद सं0– 23/2016 श्री रमण कुमार सिन्हा बनाम राज्य सरकार में अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दायर किया गया है।

श्री रमण कुमार सिन्हा, उ0व0लिपिक, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, भागलपुर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के कारण निगरानी वाद में प्रमाणित आरोप के कारण सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश सं0– 5423 दिनांक– 13.04.2016 द्वारा बर्खास्त किया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध श्री सिन्हा द्वारा अपीलीय प्राधिकार अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के समक्ष वाद सं0– 23/2016 रमण कुमार सिन्हा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया। तत्कालीन अध्यक्ष –सह– सदस्य द्वारा उक्त वाद की सुनवाई कर दिनांक– 25.07.2016 को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश को निरस्त एवं खारिज करते हुए आवेदन स्वीकृत किया गया

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

सुनवाई के दौरान प्रतिवादी श्री रमण कुमार सिन्हा ने CWJC No.-10322 of 2017 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक– 18.04.2018 को पारित आदेश की प्रति समर्पित की जिसमें उल्लेख है कि **Quasi Judicial Authority को Review** का अधिकार नहीं है। उक्त न्यायादेश की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराते हुए विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक– 21.12.2018 को विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श की प्रति उपलब्ध करायी गई।

परामर्श का मुख्य अंश ***"Hence, in view of the aforesaid, I am of the opinion, that no review can be maintained against such orders which are passed in exercise of quasi judicial power under and statute unless the statute itself provides so. Hence, the department can also have the option to file a writ petition before the High Court against the order passed by the learned Chairman, Member, Board of Revenue"***

सभी पक्षों को सुनने, अभिलेख के परीक्षण एवं विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि ***There is no provision of such review by the same authority.*** पुनर्विचार आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

31/1/19

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।

31/1/19

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।